कार्यालय नगर निगम, उदयपुर (राज.)

क्रमाकं:– रा.अति./जा./16–17/399 दिनाकं:– 22/11/17

अन्तिम नोटिस

श्री लाल मोहम्मद पिता उस्मान गनी
मस्तानबाबा के परिसर की दक्षिण दिशा
ओड बस्ती छोटी फाटक के सामने
उदयपुर
9928024366, 9460801632

(धारा अन्तर्गत 245 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत)

इस समाचार पत्र के माध्यम से आपको सुचित किया जाता है कि आप द्वारा सामुदायिक भवन के भूखण्ड के उतरी पूर्वी कोने में एक कमरा निर्मित करा दिवारों पर सिमेन्ट शेड डालकर इस भूखण्ड के दक्षिण पश्चिमी भाग में फाटक के पास लेट, बाथरूम बना दिया है। इस संबंध में पूर्व में आपको भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 14.03.2017 को सूचना पत्र जारी किया गया उसके प्रत्युत्तर में आप द्वारा दिनांक 27.03.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया जवाब का परीक्षण करने पर जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। आपको उक्त क्रम में पुनः दिनांक 15.09.2017 को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के अन्तर्गत नोटिस सरकारी भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु जारी किया गया परन्तु मौके पर उपस्थित नहीं होने से नोटिस निर्माण स्थल पर दिनांक 18.09.2017, 04.10.2017 एवं 10.11.2017 को चस्पा किये गये एवं आपका मोबाईल नम्बर भी बन्द पाया गया।

अतः जरिये आम सूचना आपको सूचित किया जाता है आप सरकारी भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण को स्वयं के स्तर पर 3 दिवस में हटाकर मय फोटो प्रस्तुत करे एवं स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज रखते हो तो प्रस्तुत करे अन्यथा आपका कृत्य सार्वजनिक/सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण मानते हुये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसमें समस्त प्रकार का दायित्व आपका रहेगा एवं इसके हर्जे–खर्चे की वसूली भी आपसे की जावेगी।

सूचित रहे।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

प्रतिलिपि :–

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त आम सूचना का प्रकाशन एक क्षैत्रीय दैनिक समाचार पत्र 50 हजार प्रतियों से अधिक परिचालन वाले उदयपुर संस्करण में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
2. प्रबन्धक ओसवाल डाटा प्रोसेसर प्रथम तल नगर निगम, परिसर, उदयपुर को वेब साईट पर प्रकाशित करने हेतु।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

E:\Revenue 2016\2015\Hakar chand ji sr\notis 245 Dhara.docx
367